

सरकारी गजर, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधार्या

लखनऊ, सोमवार, 19 ग्रप्रैल, 1976 चैत्र 30, 1898 शक सम्दत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका श्रनुभाग-1

संख्या 1760|सत्तह−वि—1-47-76 ∕र्लखनऊ, 19 श्रप्रेल, 1976

ग्रिधिसूचना विविध

'मारत का संविधान' के श्रनुच्छेद 200 के श्रधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन श्रीर प्रकीर्ण उपवन्ध) विधेयक, 1976 पर दिनांक 16 श्रप्रेल, 1976 ई0 को श्रनुमित प्रदान की श्रीर वह उत्तर प्रदेश श्रधिनियम संख्या 12, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस श्रधि-सूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन श्रीर प्रकीर्ण उपबन्ध) ग्रिधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश श्रधिनियम संख्या 1 2,1976)

] जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रवेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने और कितपय अनम्यायित धनराशि के संबंध में न्यास सुजित करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

ग्रधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसर्वे वर्ष में निम्नलिखित प्रधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपवन्य) अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) धारा 7 को 16 फरवरी, 1976 से प्रवृत्त समझा जायना, धारा 9 ऐसे दिनांक से अवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार तदयं अधिसूचना द्वारा नियुक्त करें, धारा 22 को 24 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायना और शेष धारायें 3 अवतुबर, 1975 से प्रवृत्त समझी जायेंगी।

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में--

- (i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ाये जायेंगे, अर्थात्:--
- "(क-1) 'कृषि ऋण सिमिति' का तात्वर्य उस ऋण सिमिति से है जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि कार्य करता हो ;
 - (फ-2) 'कृषि कार्यं' के श्रन्तर्गत निम्नलिखित होगाः---
 - (i) कृषि फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण या कथ-विकय ;

संक्षिप्त नाम और शरम्म

उत्तर प्रदेश श्रिधिनयम संख्या 11, 1966 की धारा 2 का संशोधन

- (ii) उद्यानकरण, रेशम के कीड़े पालना या पशुपालन जिसके अन्तर्गत श्कर पालन, मत्स्य संवर्द्धन, कुक्कुट पालन श्रीर दुग्ध व्यवसाय भी है ;
- (क-3) 'कृषि समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है जिसके साधारण सदस्यों का बहुमत मुख्यतया कृषि कार्यं करता हो;
- (क-4) 'शोष' सिमिति', 'शोष' स्तर सिमिति' या 'राज्य स्तर सहकारी सिमिति' का तात्पर्य निम्नलिखित से है:---
 - (1) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास वैंक लिमिटेड, लखनऊ;
 - (2) उत्तर प्रदेश कोग्रापरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ;
 - (3) उत्तर प्रदेश कोग्रापरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ;
 - (4) प्रादेशिक कोभ्रापरेटिव डेरी फेंडरेशन लिमिटेड, लखनऊ;
 - (5) उत्तर प्रदेश कोग्रापरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ;(6) उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ;
 - (7) उत्तर प्रदेश कोग्रापरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन लिमिटेड;
 - (8) उत्तर प्रदेश केन यूनियन्स फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ ;
 - (9) उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोग्रापरेटिव एसोसियेशन लिमिटेड, कानपुर; या
 - (10) कोई श्रन्य केन्द्रीय सहकारी सिमिति जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है--
 - (i) उसकी सदस्यता में कम से कम एक ऐसी अन्य केन्द्रीय सहकारी सिमिति हो जिसका कारोबार या न्यापार उसी प्रकार का हो; श्रौर
 - (ii) उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हो; श्रौर
 - (iii) उसका मुख्य उद्देश्य साधारण सदस्यों के रूप में श्रपने से सम्बद्ध सहकारी समितियों को कार्य करने में सुविधा देना हो ;";
 - (ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, श्रर्थात् :---
 - "(घ-1) 'केन्द्रीय समिति' या 'केन्द्रीय सहकारी समिति' का तात्पर्यं उस सहकारी समिति से है जिसका साधारण सदस्य कोई श्रन्य सहकारी समिति हो ग्रौर जो प्रारम्भिक सहकारी समिति न हो;";
 - (iii) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, ग्रर्थात्:—
 - "(झ-1) 'ऋण समिति' का तात्पर्य उस समिति से है जिसका मुख्य उद्देश्य श्रपने सदस्यों को उधार देने के लिये निधि एकत्र करना हो;";
 - (iv) खण्ड (थ)के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, ग्रर्थात् :—
 - "(य-1) 'प्रारम्भिक समिति' का तात्पर्य उस सहकारी समिति से है, जिसकी साधारण सदस्यता किसी श्रन्य सहकारी समिति के लिए सुलभ न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि——

- (i) किसी सहकारी ऋय-विकय समिति को जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले के एक भाग में या एक से ऋधिक जिले के भाग में हो, प्रारम्भिक समिति समझा जायेगा चाहे उसका साधारण सदस्य कोई ऋग्य समिति हो या नहीं;
- (ii) कोई प्रारम्भिक सहकारी समिति जिसका कोई ग्रंश किसी केंद्रीय या शीर्ष सिमिति ने ग्रध्याय 6 के ग्रधीन कथ किया है, ऐसा ग्रंश कथ किये जाने पर भी पूर्ववत् प्रारम्भिक सिमिति ही रहेगी;
- (iii) किसी सहकारी समिति को, जिसका कार्यक्षेत्र किसी जिले का केवल एक भाग हो ग्रौर जिसका मुख्य उद्देश्य बीज, रासायनिक खाद, कीट नाशक दवा, कृषि उपकरण या उपभोक्ता माल का संग्रह ग्रौर ग्रपने साधारण सदस्यों में वितरण करना हो ग्रौर जिसकी सदस्यता में उसके साधारण सदस्य के रूप में कोई ग्रन्य सहकारी समिति हो, प्रारम्भिक सिनित समझा जायेगा, भले ही उसके सदस्य ग्रन्य सहकारी समिति हों।"

घारा ३ का संशोधन

- 3—मूल ग्रधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायीं जायगी ग्रौर सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायेगी, ग्रर्थात् :--
 - "(3) जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन निबन्धक के सभी या कोई अधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश दियाँ गया हो, वहां ऐसे आदेश द्वारा उस व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उस उपबन्ध के अधीन सभी अधिकार प्रदत्त समझा जायगा।"

4---मूल श्रधिनियम की धारा 15 में---

धारा 15 का संशोधन

- (i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, श्रर्थात्:---
- "(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपवन्ध के या किसी समिति की किसी उप-विधि के होते हुए भी, उपधारा (1) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी बैठक की नोटिस सम्बद्ध समितियों के सदस्यों को दी जायेगी, और प्रारम्भिक संकल्प की प्रतियां ऐसी समितियों के सदस्यों और ऋणदाताओं पर निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से तामील की जायगी, अर्थात् :—
 - (क) लिखित श्रिमस्वीकृति प्राप्त करके व्यक्तिगत तामील द्वारा; या
- (ख) जिस व्यक्ति ने खण्ड (क) के ग्रधीन लिखित रूप में प्राप्ति श्रभि-स्वीकार की हो उसका श्रपवाद करके, प्रत्येक व्यक्ति के पते पर, जैसा समिति के ग्रभिलेख में उल्लिखित हो, प्रेषण प्रमाण-पत्न के ग्रधीन डाक द्वारा, ग्रौर किसी ऐसे समाचार-पत्न में, जिसका समिति के कार्य क्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशन द्वारा भी।";
- (ii) उपधारा (3) में, खण्ड (i) में, शब्द "प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति उसे प्राप्त होने से तीन मास की श्रवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द "उपधारा (2) के खण्ड (क) के श्रधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के श्रधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की श्रवधि के भीतर" रखे जायेंगे;
- (iii) उपधारा (4) में, शब्द "समस्त समितियों के सभी सदस्यों तथा ऋणदाताश्रों को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने के तीन मास" के स्थान पर शब्द "उपधारा (3) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट श्रवधि के" रखे जायेंगे।

5--मूल ग्रधिनियम की धारा 16 में,--

घारा 16 का संशोधन

- (i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, प्रर्थात् :--
- "(2) इस ग्रिधिनियम के किसी'श्रन्य उपवन्ध के या ऐसी समिति की किसी उप-विधि के होते हुए भी, इस धारा में निर्दिष्ट किसी बैठक की नोटिस समिति के सदस्यों को दी जायेगी और प्रारम्भिक संकल्प की एक प्रति समिति के सदस्यों श्रीर ऋणदाताश्रों पर धारा 15 की उपधारा (2) में, जो श्रावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, विनिदिष्ट किसी एक या श्रिधिक रीति से तामील की जायगी।";
- (ii) उपधारा (3) में, खण्ड (i) में शब्द "प्रारम्भिक संकल्प उसे प्राप्त होने से, तीन मास की श्रविध के भीतर" के स्थान पर शब्द "धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के श्रधीन जैसा कि वह इस धारा की उपधारा (2) के श्राधार पर लागू किया जाय, प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से, या यथास्थित , उसके खण्ड (ख) के श्रधीन किसी समाचार-पत्न में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की श्रविध के भीतर" रखे जायेंगे;
- (iii) उपधारा (4) में, शब्द "समिति के समस्त सदस्यों श्रौर ऋणदाताश्रों को प्रारम्भिक संकल्प प्राप्त होने सेतीन मास" के स्थान पर शब्द, "उपधारा (3) के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट श्रविध के" रखे जायेंगे।

6--मूल प्रधिनियम की धारा 20 में, प्रतिवन्धात्मक खण्ड में खण्ड (क) के पश्चात् निम्न-लिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, प्रर्थात् :--

धारा 20 का संशोधन

- "(कक) किसी सदस्य को मतदान का श्रधिकार न होगा, यदि--
- (i) वह वाकीदार है श्रीर कम से कम छः मास की श्रविधपर्यन्त बाकीदार रहा
 है; या
- (ii) यह ऐसी बाकीदार सिमिति का, जैसा कि उप खण्ड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है।

स्पष्टीकरण--इस खण्ड के प्रयोजनार्यं शब्द "वाकीदार" का तात्पर्य--(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या निगमित निकाय हो) जिसने संबद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो; या

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से हैं जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो ।"

धारा 29 का संशोधन

7---मूल श्रधिनियम की धारा 29 में--

(i) उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "जब तक कि उपधारा (3) या उपधारा (4) के प्रधीन नये निर्वाचन न हो जायें प्रथवा उपधारा (5) के प्रधीन निबन्धक द्वारा नाम निर्देशन न कर दिये जायें" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा, प्रथीत् :——

ं "जब तक कि इस धारा के प्रधीन समिति द्वारा नये निर्वाचन न किये जायें या निबन्धक द्वारा अन्य व्यवस्था न की जाय";

- (ii) उपधारा (3), (4), (5) ग्रौर(6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराय रखी जायेंगी, श्रर्थात् :---
 - "(3) प्रबन्ध कमेटी का यह कर्त्तंच्य होगा कि वह ग्रपने कार्यंकाल की समाप्ति के पूर्वं धारा 32 के उपबन्धों के श्रनुसार वाधिक सामान्य बैठक में प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये कार्यंवाही करे, श्रीर इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उन सदस्यों का स्थान लेंगे जिनका कार्यंकाल उपधारा (2) के श्रधीन समाप्त होता है।
 - (4) हैं यदि समिति, वहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हैं प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन करने में ग्रसफल रहती है तो जब तक कि समिति के सदस्यों का निर्वाचन करने में ग्रसफल रहती है तो जब तक कि समिति के सदस्यों का निर्वाचन न हो जाये, तब तक के लिये निबन्धक समिति के कार्यकलाप के प्रबन्ध के लिये—
 - (i) किसी शीर्ष या केन्द्रीय समिति की स्थिति में, प्रशासक नियुक्त करेगा,ें
 - (ii) किसी अन्य समिति की स्थिति में, प्रशासक नियुक्त कर सकता हैं, और उसे ऐसी व्यवस्था में समय-समय पर परिवर्तन करने का अधिकार होगा :

। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक इस उपधारा के ग्रधीन किसी शीर्ष या केंद्रीय समिति में कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाये, तब तक समिति का सचिव चार सप्ताह से ग्रनधिक ग्रविध के लिये प्रबन्ध कमेटी के केवल वर्तमान कर्त्तव्यों का प्रभार ग्रहण करेगा।

- (5) उपधारा (4) के प्रधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त प्रशासक को, ऐसे निदेशों के प्रधीन रहते हुये, जिन्हें निबन्धक समय-समय पर दे सकता है, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी प्रधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने का प्रधिकार होगा और इस प्रधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के सभी प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह प्रबन्ध कमेटी है।
- (6) उपधारा (4) के ग्रधीन नियुक्त प्रशासक, ग्रपनी नियुक्ति के दिनांकी से या उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन ग्रौर प्रकीण उपबन्ध) ग्रधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के दिनांक से पांच मास के भीतर जो भी पश्चातवर्ती हो, इस ग्रिधिनियम, नियमों ग्रौर सिमिति की उपविधियों के ग्रनुसार सिमित का प्रबन्ध उससे ग्रहण करने के लिये, प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गंठन करने की व्यवस्था करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि उस ग्रविध को जिसमें प्रशासक को विधि न्यायालय के किसी ग्रादेश से ऐसा करने से रोका जाये, पांच मास की उक्त ग्रविध की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(7) जहां प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल 3 प्रक्तूबर, 1975 के (जिसे प्रागे इस धारा में 'उक्त दिनांक' कहा गया है) पूर्व समाप्त हो गया हो, वहां इस बात के होते हुये भी कि निबन्धक ने उपधारा (4) के ग्रधीन, जैसा कि वह उक्त दिनांक के होक पहले था, कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी, निबन्धक उक्त दिनांक के पश्चात् प्रथाशान्न उपधारा (4) के ग्रनुसार, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सहकारी विधि संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) ग्रधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गर्या (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) ग्रधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गर्या है, कार्यवाही करेगा, ग्रौर तद्वन्तर उप-धारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के ग्रावार पर, जैसा कि वह उक्त दिनांक के पहले था, या धारा 35 के अधीन किसी आवार पर, जैसा कि वह उक्त दिनांक के पहले था, या धारा 35 के अधीन किसी आवेश के ग्राधार पर, पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ग्रपने पद से तत्काल आवेश के ग्राधार पर, पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ग्रपने पद से तत्काल मुक्त समझा जायेगा श्रौर उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन ग्रौर प्रकीर्ण उपबन्ध) ग्रिक्त समझा जायेगा श्रौर उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन ग्रौर प्रकीर्ण उपबन्ध) ग्रिक्त प्रशासक ही सिमिति की प्रबन्ध कमेटी तथा श्रिधकारियों के ग्रधिकारों का प्रयोग करने के लिये सक्षम होगा।"

8 - - मूल ग्रधिनियम की धारा 31 में --

धारा 31 संशोधन

- (क) उपधारा (1) में जब्द ''श्रत्येक सहकारी समिति का एक सिचव होगा'' के स्थान पर शब्द और अंक 'धारा 31-क में जैसा उपविधित है उसके सिवाय प्रत्येक सहकारी समिति का एक सचिव होगा" रख दिये जायंगे, और शब्द और ग्रंक "घारा 121 और 122" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 121, 122 और 122-क"
- (ख) उपधारा (3) में, शब्द ग्रौर ग्रंक "धारा 121 या 122" के स्थान पर शब्द, श्रंक ग्रीर ग्रक्षर ''घारा 121, घारा 122 या घारा 122क" रखे जायंगे।
- 9——मूल अधिनियम कि धारा 31 के पञ्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्ः

"31-क-(1) प्रत्येक शीर्ष समिति के लिये, सचिव के स्थान पर एक प्रबन्ध-निदेशक समितियों के होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निदिष्ट प्रथम वर्ग के भ्रघि-लिए सचिव के स्थान कारी से ग्रनिम्न पद का सरकारी सेवक होगा, ग्रीर उसकी सेवायें प्रबन्ध-निदेशक समिति में प्रतिनियुवित पर समझी जायेंगी श्रीर उसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित वेतन और भत्ता समिति के निधि से दिया जायगा। की नियुक्ति

- (2) प्रबन्ध-निदेशक प्रबन्ध कमेटी का पदेन सदस्य होगा।
- (3) किसी शीर्ष समिति के सम्बन्ध में, ग्रिधिनियम में सिचव के प्रति समस्त निर्देश, जहां कहीं व्यवहार्य हो, प्रबन्ध-निदेशक के प्रति निर्देश समझा जायगा ।
- (4) प्रवन्ध निदेशक शीर्ष सिमिति का मुख्य-कार्यपालक श्रिधिकारी होगा ग्रीर प्रवन्ध कमेटी ग्रीर सभापति के ऐसे नियंत्रण में रहते हुए, जैसा नियमों ग्रीर समिति की उपविधियों में उपबन्धित किया जाये, उसका निम्नलिखित कर्त्तव्य ग्रीर उत्तरदायित्व होगा, ध्रयात् :-
 - (i) समिति के प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण रखना;
 - (ii) प्रवन्ध कमेटी ग्रौर सामान्य निकाय की बैठक बुलाना ;
 - (iii) समिति की ओर से समस्त धन और प्रतिभृति भ्राप्त करना और समिति की रोकड़ बाको और अन्य सम्पत्तियों के समुचित अनुरक्षण और अभिरक्षा का प्रबन्ध
 - (iv) बचन-पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभृतियों को पृष्ठांकित और संक्रमित करना और समिति की ओर से चेक और अन्य परकाम्य संलेख का पृथ्वांकन, हस्ताक्षर और परक्रमण करना;
 - (v) सिमिति के दिनानुदिन कार्य और मामलों के सामान्य संचालन, पर्यंबेक्षण और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होना;
 - (vi) समस्त जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना और बैंक में समिति का लेखा
 - (vii) समिति के पक्ष में समस्त बन्ध-पत्रों और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना;
 - (viii) समिति के बजट प्राविधानों के ग्रधीन रहते हुए तीन मास की ग्रविध के लिये तृतीय श्रौर चतुर्थं श्रेणी के पदों का सूजन करना श्रौर नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में बोर्ड के माध्यम से उन पर भर्ती करना जैसा कि धारा 122 की उप-धारा (2) के ब्रधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों में व्यवस्थित हैं ;
 - (ix) समिति के कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य श्रीर उत्तरदायित्व अव-धारित करना;
 - (x) सिमिति द्वारा या उसके विरुद्ध या अन्यया सिमिति के मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित, संचालित, प्रतिवादित, प्रश्नमित या परित्यक्त करना और समिति द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावा या मांग का प्रशमन करना और भुगतान या तुष्टि के लिये समय देना;
 - (xi) ऐसे विनियमों के, यदि कोई हों, जिन्हें प्रबन्ध कमेटी बनाये, अधीन रहते हुए, वातचीत करना और निर्माण-कार्य के दौरान 5 लाख रुपये तक की प्रत्येक और उसके पश्चात् 21 लाख रुपये तक की प्रत्येक संविदा की स्वीकृत करना और समिति के प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त किसी विषय के सम्बन्ध में समिति के नाम से और उसकी ओर से एसे समस्त कार्य, कृत्य और बात करना;

नयीघारा 31-क का बढ़ाया जाना

(xii) अपना अन्तिम नियंत्रण और प्राधिकार रखते हुए, किसी समिति के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को अपने में निहित सभी या किसी अधिकार, प्राधिकार और विवेकाधिकार प्रत्यायोजित करना ।"

धारा 34 का संशोधन

- 10--मूल श्रधिनियम की धारा 34 में, उपघारा (7) के पश्चांत् निम्नलिखित उपघारा विद्यापा नायगी, श्रर्थात् :--
 - "(७-क)--इस श्रिधिनियम में या किसी सिमिति की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी--
 - (i) इस धारा के ब्रधीन राज्य सरकार द्वारा या उपधारा (7) के ब्रधीन विनिद्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई सरकारी सेवक या तो नाम से या शासकीय पदनाम से नाम-निर्दिष्ट किया जा सकता है;
 - (ii) शासकीय पदनाम से इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट कोई सरकारी सेवक प्रबन्ध कमेटी की किसी विशिष्ट बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है, और ऐसे अधिकारी को कमेटी के विचार-विमर्श में भाग लेने को अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।"

नयी धारा 35-क का बढाया जाना

- 11--मुल ग्रधिनियम की घारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित घारा बढ़ायी जायगी, ग्रर्थात् :--
 - "35-क (1)--इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना, जहां दो लगातार सहकारी वर्षों के लिए (जिसके अन्तर्गत इस घारा के प्रारम्भ के पूर्व की कोई अविध भी है)--
 - (क) किसी प्रारम्भिक समिति का, जो ऋण समिति है, किसी सहकारी वर्ष में ग्रपने सदस्यों के विषद्ध कुल देयों का सत्तर प्रतिशत से श्रविक ऐसे वर्ष के श्रन्त में श्रदत्त रह जाय, या
 - (ख) किसी ऐसे वर्ष के श्रन्त में बाकीदार सदस्यों की संख्या ऐसी समिति के ऋणी सदस्यों की कुल संख्या के सत्तर प्रतिशत से श्रिधिक हो जाय,

वहां किसी ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सभापित थ्रौर सभी सदस्य उपधारा (3) के श्रधीन श्रादेश प्रभावी होने पर इस रूप में श्रपना-श्रपना पर रिक्त कर बेंगे। (2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जिस प्रकार वे किसी प्रारम्भिक ऋण समिति पर लागू होते हैं, वित्त पोषण बैक पर, श्रावद्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लाग होंगे मानों ''सत्तर प्रतिशत" के निर्देश को ''साठ प्रतिशत" के निर्देश द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

(3) किसी समिति या बैंक के सम्बन्ध में, जैसा कि उपघारा (1) या उपघारा (2) में निविद्य है, निबन्धक ऐसी समिति या बैंक के, जिसे वह उपयुक्त समझे, कार्यों के प्रबन्ध के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह उचित समझे ख़ौर घारा 35 की उपघारा (3), (4), (5) ख़ौर (6) के उपबन्ध श्रावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

धारा 44 का संशोधन 12--मूल मधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द और कोष्ठक ("जिसे इस ग्रध्याय में ग्रामें 'शीर्ष समिति' कहा गया है)" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 45 का संशोधन 13--मूल ग्रंधिनियम की धारा 45 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द ग्रीर कोष्ठक "(जिसे ग्रागे इसे ग्रध्याय में 'केन्द्रीय समिति' कहा गया है)" निकाल दिये जायेंगे।

नयी धारा 71-क का बढ़ाया जाना 14--मूल अधिनियम के अध्याय 9 में, धारा 71 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी े जायगी, अर्थात् :--

"71-क (1) —यदि कोई सहकारी समिति (जिसे ग्रागे इस धारा में ऋणी समिति कहा ऋणदाता समिति गया है) ग्रपने ऋण का भुगतान किसी ग्रन्य सहकारी समिति को (जिसे ग्रागे इस धारा में ऋणवाता समिति कहा गया है) इस कारण करने में ग्रार उसके सदस्यों असमर्थ है कि उसके सदस्यों ने धन का भुगतान करने में चूक किया है ग्रीर ऋणी समिति की प्रवन्ध कमेटी ने ग्रपने सदस्यों से प्राप्य धन की वसूली के लिये ग्रावरयक कार्यवाही करने में लोप या उपेक्षा बरती है तो इस ग्रधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऋणवाता समिति लिखित नोटिस द्वारा उक्त कमेटी को चूक करने वाले सदस्यों के विरुद्ध धारा 70 या, यथास्थिति, धारा 92 क उपवन्धों के ग्रनुसार कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है।

7

- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का श्रनुपालन उस नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन की अविध के भीतर ऋणी समिति की प्रबन्ध कमेटी नहीं करती है, तो चूक करने वाले ऐसे सदस्यों के विरुद्ध ऋणवाता समिति स्वयं धारा 70 या, यथास्थिति, धारा 92 के उपबन्धों के श्रनुसार कार्यवाही कर सकती है मानों वह ऋणवाता समिति के सदस्य हों श्रौर उस दशा में इस अधिनियम श्रौर इसके अधीन बने नियम श्रौर ऋणी समिति की उप विधियों के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों उक्त उपबन्धों में ऋणी समिति श्रौर उसकी प्रबन्ध कमेटी श्रौर अधिकारियों के प्रति निर्देश हों।
- (3) जहां ऋणवाता समिति ने ऋणी समिति द्वारा देय किसी धन के सम्बन्ध में ऋणी समिति के विरुद्ध धारा 92 में निर्दिष्ट प्रभिनिर्णय या ग्रादेश प्राप्त कर लिया है, वहां ऋणवाता समिति इस ग्रधिनयम के ग्रौर इसके ग्रधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के ग्रनुसार या तो ऋणी समिति की परिसम्पत्तियों से, या उसके सदस्यों से ऋणी समिति को उनसे प्राप्य ऋण की मात्रा तक, या दोनों से ऐसे धन की वसूली के लिये कार्यवाही कर सकती है।"
 - 15--मूल म्रधिनियम की धारा 95 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, म्रर्थात् :--

"95-क(1)——निबन्धक, धारा 34 में निर्विष्ट सिमिति या कृषि ऋण सिमिति द्वारा किसी सदस्य को दिये गये किसी ऋण या उसकी किसी किस्त की बकाया कृषि सिमिति के की वसूली के लिये प्रार्थना-पत्न देने पर ग्रीर ऐसे ऋण के सम्बन्ध में लेखा देयों की वसूली के विवरण प्रस्तुत करने पर ग्रीर ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह उचित लिये विशेष समझें, करने के पश्चात् देय धनराशि की वसूली के लिये प्रमाण-पत्न उपबन्ध जारी कर सकता है। नयी घारा 95 क का बढ़ाया जाना

(2) उपधारा (1) के स्रधीन निबन्धक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्न श्रन्तिम श्रीर देयों का निश्चायक सबूत होगा, जिसे मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।"

16--मूल ग्रधिनियम की धारा 103 में, उपधारा (2) में--

घारा 103 का संशोधन

- (i) खण्ड (क) में ग्रंक "6" निकाल दिया जायगा;
- (ii) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जायेंगे, श्रर्थात् :--
- "(ख) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (2), खण्ड (3) या खण्ड (6) के ग्रधीन श्रपराध करता है, दोषसिद्धि पर किसी प्रकार के कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक हो सकता है ग्रौर ग्रथ दण्ड का भी भागी होगा जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है;
 - (ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक ग्रपराध संज्ञेय ग्रौर जमानतीय होगा।"

17--मूल ग्रधिनियम की धारा 117 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, ग्रर्थात् :--

नयी घारा 117-क का बढ़ाया जाना

"117--क-धारा 29, धारा 34, धारा 35 या धारा 35-क के प्रधीन निबन्धक या राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश दिया जाय या दिया जाना भावित हो कितपय मामलों उसके विरुद्ध समिति या किसी अधिकारी या उसकी प्रवन्ध कमेटी द्वारा में मुकदमों पर किसी न्यायालय में दायर की गयी या संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों का होने वाले व्यय खर्च देने के प्रयोजनार्थ समिति की निधि से कोई व्यय निबन्धक की का नियंद्रण लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।"

18—मूल ग्रधिनियम की धारा 122 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायेगी, मर्थात् :---

नयी धारा 122-क का बढ़ाया जाना

- "122-क (1)--इस स्रधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसी सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग के ऐसे कर्मचारियों कितिपय सेवाओं की, जिसे राज्य सरकार उचित समझे, ऐसी सहकारी समितियों के का केन्द्रीयकरण लिये सर्वंसामान्य एक या अधिक सेवाओं के सृजन के लिये उपबन्ध नियमों द्वारा कर सकती है और किसी ऐसी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की मर्ती की प्रणाली और सेवा की शर्तों को नियत कर सकती है।
- (2) जब कोई ऐसी सेवा सुजित की जाय तब ऐसी सेवा में सम्मिलित पदों के कर्मचारी यिद उपयुक्त पाये जाएं, श्रस्थायी रूप से या श्रन्तिम रूप से सेवा में श्रामेलित किये जायेंगे, जब तक कि कोई ऐसा कर्मचारी नियत श्रविध के भीतर नियत प्राधिकारी को उस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा ऐसी सेवा का सदस्य न होने के अपने विकल्प की सूचना न दे दे श्रौर श्रन्य कर्मचारियों की सेवाएं नियत रीति से समाप्त हो जायेंगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई कर्मचारी उपर्युक्त नोटिस देता है वहां समिति में उसकी सेवायें ऐसी नोटिस के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी ग्रौर वह समिति से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो—

- (क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसकी सेवा के तीन मास की श्रविध के या सेवा की शेष श्रविध के, जो भी कम हो, उसके वेतन (जिसके श्रन्तर्गत सभी भत्ता भी है) के बराबर होगा;
- (ख) किसी प्रस्थायी कर्मचारी की दशा में, उसकी सेवा के एक मास के या सेवा की शेष प्रवधि के, जो भी कम हो, उसके बेतन (जिसके प्रन्तर्गत सभी मत्ता भी है) के बराबर होगा :

श्रयतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति का उक्त सेवा में सम्मिलित पद से भिन्न किसी पद पर स्वत्व (लीएन) हो, वहां वह उस पद पर, जिस पर उसका स्वत्व है, प्रतिवर्तित किये जाने का हकदार होगा श्रौर यदि वह इस प्रकार प्रतिवर्तित होता है तो वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।"

घारा 125 का संशोधन 19---मूल ग्रधितियम की धारा 125 में,---

- (क) उपधारा (2) में, शब्द "सम्बद्ध समितियों को सुनवाई का एक ग्रौर श्रवसर देने के पश्चात" निकाल दिये जायेंगे;
- (ख) उपधारा (4) में, शब्द "सभी सिमितियों के समस्त सदस्यों ख्रीर ऋणदाताख्रों द्वारा उपधारा (3) में ख्रिभिदिष्ट प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति से तीन मास" के स्थान पर शब्द "धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के ख्रधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के ख्रधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन" रखे जाएंगे।

धारा 126 का . संशोधन 20--मूल ग्रधिनियम की घारा 126 में,--

- (क) उपधारा (2) में, शब्द "सम्बद्ध समिति को सुनवाई का एक ग्रौर ग्रवसर देने के पश्चात" निकाल दिये जायेंगे;
- (ख) उपधारा (4) में, शब्द "समिति के सभी सदस्यों तथा ऋणदाताग्रों द्वारा उप-धारा (3) में प्रभिदिष्ट प्रारम्भिक संकल्प की प्राप्ति से तीन मास" के स्थान पर शब्द "धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के ग्रधीन प्रारम्भिक संकल्प की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के ग्रधीन किसी समाचार-पत्र में उसके प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन" रखे जायेंगे।

कतिएय ग्रनध्ययित निक्षेप का संस्थान को ग्रन्तरण

- 21—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविद्या या लिखत में किसी वात के होते हुए भी, य0 पी0 को आपरेटिव बेंक लिमिटेड में (जिसे यहां आगे बेंक कहा गया है) उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की और से राज्य सरकार की श्रिधसूचना संख्या 3072-एस (2)/12-सी—(188-1948, दिनांक 24 नवम्बर, 1948 और संख्या 3321-एस/12-सी—188—1948, दिनांक 19 जनवरी, 1949 के श्रनुसरण में सावधि निक्षेप के रूप में जमा की गयी समस्त धनराशि, उस पर व्याज सहित, जो 24 नवम्बर, 1975 को संबद्ध गन्ना उत्पादकों हारा अर्ध्यावत न हो, विसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रिजस्ट्रीकृत सोसाइटी, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान को (जिसे आगे संस्थान कहा गया है) ऐसी अवधि के भीतर, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे, बेंक द्वारा दी जायगी ।
- (2) उपधारा (1) के श्रधीन श्रन्तरित की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में बैंक और संस्थान के मध्य कोई विवाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायगा, श्रौर उसका विनिश्चय श्रन्तिम् होगा श्रौर उससे दोनों बाध्य होंगे ।
- (3) संस्थान इस प्रकार प्राप्त धनराशि को एक पृथक् लेखा में रखेगा, ग्रौर उसको, यथानी स्थिति, जमाकर्ताग्रों या उनके विधिक प्रतिनिधियों की ग्रोर से न्यास के रूप में रखेगा।
- (4) बैंक द्वारा संस्थान को उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने पर, बैंक केवल इस प्रकार भुगतान को गयी राशि की सीमा तक ग्रपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगा, श्रौर जमाकर्ताश्रों या उनके विधिक प्रतिनिधियों को उसका भुगतान करने का दायित्व उपर्युक्त सीमा तक संस्थान को श्रन्तरित हो जायगा ।

- (5) उपधारा (1) के स्रघीन संस्थान को सुगतान होने पर यथाशीझ, संस्थान एक सामान्य नीटिस, जिसमें ऐसे सभी विवरण होंगे, उस रीति से, जिसका निदेश राज्य सरकार आदेश द्वारा दे, प्रकाशित करेगा कि संस्थान को इस प्रकार अन्तरित धनराशि में से उनको देय भुगतान के लिये यथा-स्थिति, जमाकर्ताओं या उनके विधिक प्रतिनिधियों के दाव (जो नीटिस के प्रकाशन के दिनांक से तीन मास की स्रविध के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे) आमंत्रित किये जाते हैं।
- (6) सामान्य नोटिस के अनुसरण में प्राप्त कोई दावा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा नाम-निद्धिष्ट किसी ऐसे अधिकारी द्वारा (जिसे आगे अध्यर्थना प्राधिकारी कहा गया है) जो सहायक गन्ना आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, विनिद्धित किया जायेगा ।
- (7) यवि उपयारा (6) के अधीन अध्यर्थना प्राधिकारी द्वारा कोई दावा अस्वीकार कर दिया जाय, तो अध्यर्थी को उस जिले के, जिसमें जमाकर्ता गन्ना उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य था, जिला न्यायाधीक के समक्ष अधील करने का अधिकार होगा।
- (8) उपवारा (6) के अधीन अध्यर्थना प्राधिकारी का विनिश्चय, उपधारा (7) के अधीन किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा, और ऐसी अपील में, यदि कोई हो, जिला न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (9) संस्थान को अन्तरित की गयी राज्ञि में से, कोई राज्ञि, जिसके लिये सामान्य नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई दाया न जिया गया हो, या जिसके संबंध में उपर्युक्त प्रकार से प्रस्तुत दावा को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो, परित्यक्त सम्पत्ति सभझी जायगी और स्वामी-हीन रिक्थ के रूप में राज्य में निहित हो जायगी और वह ऐसी निधि में, जिसे उत्तर प्रदेश गन्ना विकास निधि कहा जायगा, अन्तरित हो जायगी और उत्तरा भाग समझी जायगी ।
- (10) गन्ना की खेती के विकास, अनुसंधान और प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिये और गन्ना उत्पादकों के लिये सायान्य उपयोगिता के ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये, जैसा गन्ना आयुक्त समय-समय पर निदेश दें, वह निधि संस्थान में निहित होगी और उसके द्वारा रखी और प्रशासित की जायगी।

22--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन श्लीर प्रकीर्ण उपबन्ध) श्रध्यादेश, 1976 एतबहारा निरसित किया जाता है :

निरसन **ग्रौर** अपवाद j

- (2) ऐसे निरसन ग्रीर उपधारा (1) में उल्लिखित ग्रध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी सिमित (संशोधन) ग्रध्यादेश, 1975, ग्रीर उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों का उत्तर प्रदेश कोग्रापरेटिय बेंक लिमिटेड में निक्षप (अनध्यायित निश्लेष के लिये न्यास) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, कोई कार्य या कोई कार्यवाही, जो
 - (क) उपत उत्तर प्रदेश सहकारी तमिति (संशोधन) श्रध्यादेश, 1975 द्वारा संशोधित मूल श्रधिनियम के श्रधीन किया गया हो या की गयी हो, उसे इस श्रधिनियम द्वारा संशोधित मूल श्रधिनियम के श्रधीन किया गया कार्य या को गयी कार्यवाही समझी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस प्रकार संशोधित सूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन किसी समिति के प्रशासन के लिए कोई तबर्य कमेटी निवन्धक द्वारा नियुक्त की गयी थी, वहां वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो सप्ताह के भीतर तबर्य कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करेगा और अब तक ऐसा प्रशासक नियुक्त न किया जाय तब तक प्रबन्ध कमेटी के केवल वर्तमान कर्त्रां का प्रभार तबर्य कमेटी छहण करेगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी शीर्ष या केंद्रीय समिति से किन्न किसी समिति के संबंध में जहां निवन्धक ने प्रशासक नियुक्त किया है, वहां वह यदि उचित समझें, विहानि प्रवन्ध कनेटी को सिकित का प्रबन्ध पुनः सींप सकताहैं, किन्तु इससे उक्त उप-धारा (4) के अधीन पुनः कार्य करने के लिये, जब कभी वह ऐसा करना उचित समझें, उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पढ़ेगा; या

(ख) उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों का उत्तर प्रदेश कोश्रापरेटिव वैंक लिमिटेड में निक्षेप (श्रनध्यित निक्षेप के लिए न्यास) श्रध्यादेश, 1975 के श्रधीन किया गया हो या की गयी हो, उसे इस श्रधिनियम की धारा 22 के श्रधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी,

मानो यह अधिनियस सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

तर प्रदेश प्रदेश सं 0: 19 7 6 र प्रदेश

योदेश सं 0'' 6, 1975 र प्रदेश गदेश सं0

तर प्रदेश

व्यादेश या 36, 1975

No. 1760 (2) /XVII-V-1-47-76

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution tion of India, the overnor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Vidhi (Sanshodhan Aur Prakirna Upbandh) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 1976:

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE LAWS (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1976

(U. P. ACT NO. 12 OF 1976)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ΆN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 and to provide for the creation of a trust in respect of certain unclaimed sums. of money and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India. as follows:

Short title and commencement.

- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1976.
- (2) Section 7 shall be deemed to have come into force on February 16, 1976. section 9 shall come into force on such date as the State Government may by notification, appoint in that behalf, section 22 shall be deemed to have come into force on November 24, 1975 and rest of the sections shall be deemed to have come into force on October 3, 1975.

- Amendment of 2. In section 2 of the Uttar Pradesisection 2 of U.P. Act 11 of 1966, inafter referred to as the principal Act— 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, here
 - (i) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely
 - "(a-1) 'agricultural credit society' means a credit society majority of the ordinary members whereof are primarily engaged in agricul tural occupation;
 - (a-2) 'agricultural occupation' shall include—
 - (i) production, processing or marketing of agricultural crops;
 - animal husbandry which (ii) horticulture, sericulture or includes piggery, pisciculture, poultry farming and dairying;
 - (a-3) 'agricultural society' means a co-operative society the majority of the ordinary members whereof are primarily engaged in agricultural occupation;
 - (a-4) 'apex society', 'apex level society' or 'state level co-operative society' means-
 - U. P. State Co-operative Land Development Bank Lid (1)Lucknow;
 - (2) U. P. Co-operative Bank Ltd., Lucknow;
 - (3) U. P. Co-operative Federation Ltd., Lucknow;

- (4) Pradeshik Co-operative Dairy Federation Ltd., Lucknow;
- (5) U. P. Co-operative Union Ltd., Lucknow;
- (6) U. P. Upbhokta Sahkari Sangh Ltd., Lucknow;
- (7) U. P. Co-operative Sugar Factories Federation Ltd.;
- (8) U. P. Cane Unions Federation Ltd., Lucknow;
- (9) U. P. Industrial Co-operative Association Ltd., Kanpur; or
- (10) any other central co-operative society fulfilling the following conditions:—
 - (i) it includes in its membership at least one other central co-operative society in the same line of business or trade; and
 - (ii) its area of operation covers the whole of Uttar Pradesh; and
 - (iii) its primary object is to facilitate the operation of the co-operative societies affiliated to it as ordinary members;";
- (ii) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:
- "(d-1) 'central society' or central co-operative society means a co-operative society, which has any other co-operative society as its ordinary member and is not a primary co-operative society;";
- (iii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(i-1) 'credit society' means a society which has as its primary object the raising of funds to be lent to its members;";
- (iv) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(q-1) 'primary society' means a co-operative society ordinary membership whereof is not open to any other co-operative society:

Provided that-

- (i) a co-operative marketing society, the area of operation whereof is only a part of a district or part of more than one district shall be deemed to be a primary society whether or not any other co-operative society is its ordinary members;
- (ii) a primary co-operative society any share whereof has been purchased under Chapter VI, by a central or apex society shall continue to be a primary society notwithstanding the purchase of such shares;
- (iii) a co-operative society, the area of operation whereof is only a part of a district and the primary object whereof is to arrange for the storage and distribution of seeds, fertilizers, pesticides, agricultural appliances or consumers goods to its ordinary members and the membership whereof includes any other co-operative society as its ordinary member, shall be deemed to be primary society notwithstanding the membership of other co-operative society in it;".

Amendment section 3.

- 3. In section 3 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely 3—
 - "(3) Where any order has been made under sub-section (2) conferring on any person all or any of the powers of the Registrar under any provision of this Act, such order shall be deemed to confer on him all the powers under that provision as may be amended from time to time."

Amendment of section 15.

- 4. In section 15 of the principal Act-
 - (i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(2) Notwithstanding any other provision of this Act or of any bye-law of any society, notices of any meeting referred to in subsection (I) or sub-section (4) shall be given to the members of the societies concerned, and copies of the preliminary resolution shall be served on the members and creditors of such societies in any one or more of the following manners, namely:—
 - (a) by delivery in person under acknowledgement in writing or
 - (b) except in respect of any person who has acknowledged receipt in writing under clause (a), by post under certificate of posting at the address of each such person as noted in the society's records, and also by publication in a newspaper having circulation in the area of operation of the society.";
 - (ii) in sub-section (3), in clause (i), for the words "within a period of three months from his receipt of the copy of the preliminary resolution", the words "within a period of thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) of that sub-section" shall be substituted;
 - (iii) in sub-section (4), for the words "three months from the receipt of the preliminary resolution by all the members and creditors of all societies", the words "the period referred to in clause (i) of sub-section (3)" shall be substituted.

Amendment of section 16.

- 5. In section 16 of the principal Act-
 - (i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(2) Notwithstanding any other provision of this Act or of any bye-law of such society, notices of any meeting referred to in this section shall be given to the members of the society and a copy of the preliminary resolution shall be served on the members and creditors of the society in any one or more of the manners specified in sub-section (2) of section 15, which shall mutatis mutandis apply.";
 - (ii) in sub-section (3), in clause (i), for the words "within a period of three months from the receipt of the preliminary resolution", the words "within a period of thirty days from the date of receipt of a copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of section 15 as applicable by virtue of sub-section (2) of this section, or as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) thereof" shall be substituted;
 - (iii) in sub-section (4), for the words "three months from the receipt of the preliminary resolution by all the members and creditors of the society", the words, "the period referred to in clause (i) of sub-section (3)" shall be substituted.

Amendment of section 20.

- 6. In section 20 of the principal Act, in the proviso, after clause (a) the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(aa) a member shall have no right of vote if-
 - (i) he is defaulter and has been a defaulter for a period of not less than six months; or
 - (ii) he is a delegate of a society which is such defaulter as referred to in sub-clause (i).

Explanation:—For the purposes of this clause, the word "defaulter" means:—

- (i) a member (whether individual or body corporate) who has failed to pay any dues of the society concerned on the due date; or
- (ii) a member co-operative society which has failed to pay not less than 75 per cent of the total dues on the due date."
- 7. In section 29 of the principal Act-

ŭ.

{···

ďγ

(i) in the proviso to sub-section (2), for the words "till fresh elections are held by the society under sub-section (3) or sub-section (4) or nominations are made by the Registrar under sub-section (5)", the following shall be substituted, namely:—

"until fresh elections are held by the society or other arrangements are made by the Registrar under this section";

- (ii) for sub-sections (3), (4), (5) and (6), the following sub-sections shall be substituted, namely:—
 - "(3) It shall be the duty of the Committee of Management to take steps before the expiry of its term for election of members of the Committee of Management as provided in section 32 at an annual general meeting, and the members so elected shall replace the members whose term expires under sub-section (2).
 - (4) If the society fails to elect the members of Committee of Management before the expiry of the term of the outgoing committee of management, the Registrar—
 - (i) in the case of an apex or a central society, shall appoint an Administrator, and
 - (ii) in the case of any other society, may appoint an Administrator,

for the management of the affairs of the society until the election of the members of the Committee of Management is held, and he shall have power to make any change in such arrangement from time to time:

Provided that for so long as no Administrator is appointed in an apex or a central society under this sub-section, the Secretary of the society shall be in charge only of the current duties of the Committee of Management for a period not exceeding four weeks.

- (5) The Administrator appointed by the Registrar under subsection (4) shall, subject to any directions which the Registrar may from time to time give, have the power to perform all or any of the functions of the Committee of Management or of any officer of the society and shall be deemed for all purposes under this Act, the rules and the bye-laws of the society to be the Committee of Management.
- (6) The Administrator appointed under sub-section (4) shall, within a period of five months from the date of his appointment or from the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1976, whichever is later, arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with this Act, the rules and the byelaws of the society to take over the management of the society from him:

Provided that any period during which the Administrator is restrained from so acting by an order of a court of law, shall be excluded in computing the said period of five months.

(7) Where the term of a Committee of Management has expired before the third day of October, 1975 (hereinafter, in this section, referred to as the said date), then notwithstanding that action had been initiated by the Registrar under sub-section (4) as it stood immediately before the said date, the Registrar shall as soon as may be after the said date take action in accordance with sub-section (4), as amended by the Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1976 and thereupon every person holding office either by virtue of the proviso to sub-section (2) as it stood before the said date or by virtue of any order under section 35, shall be deemed to have ceased to hold such office forthwith and the Administrator appointed by the Registrar under

Amendment of section 29.

sub-section (4) as substituted by the Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1976, shall alone be competent to exercise the powers of the Committee of Management and of officers of the society."

Amendment of section 31.

- 8. In section 31 of the principal Act-
 - (a) in sub-section (1) for the words "There shall be a Secretary of every co-operative society", the words and figures "Save as provided in section 31-A, there shall be a secretary of every Co-operative Society", shall be substituted, and for the words and figures "sections 121 and 122" the words, figures and letter, "sections 121, 122 and 122-A" shall be substituted;
 - (b) in sub-section (3), for the words and figures "section 121 or section 122" the words, figures and letter "section 121, section 122 or section 122-A" shall be substituted.
- Insertion of new inserted, namely:—

 9. After section 31 in the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
 - Appointment of Managing Director who shall be a Government servant not below the rank of a class I Officer, nominated by the State Government, and his services shall be deemed to be on deputation with the society and his salary and allowances, as determined by the State Government, shall be paid from the funds of the society.
 - (2) The Managing Director shall be ex officio member of the Committee of Management.
 - (3) All references in the Act to Secretary shall in relation to an apex society be construed, wherever practicable, as references to the Managing Director.
 - 4) The Managing Director shall be the Chief Executive Officer of the apex society and subject to such control of the Committee of Management and the Chairman, as may be provided in the rules and the byelaws of the society he shall have the following duties and responsibilities, namely:
 - (i) to have general control over the administration of the society;

(ii) to convene meetings of the Committee of Management and

the general body;

- (iii) to receive all moneys and securities on behalf of the society; and to make arrangements for the proper maintenance and custody of cash balances and other properties of the society;
- (iv) to endorse and transfer promissory notes, Government and other securities and to endorse, sign and negotiate cheques and other negotiable instruments on behalf of the society;
- (v) to be responsible for the general conduct, supervision and management of the day-to-day business and affairs of the society;
- (vi) to sign all deposit receipts and operate the accounts of the society with banks;
 - (vii) to sign all bonds and agreements in favour of the society;
- (viii) to create, subject to provisions contained in the budget of the society, class III and class IV posts for a period of 3 months and to make, as appointing authority, recruitment thereto through the Board as provided in the regulations framed by the State Government in exercise of the powers under sub-section (2) of section 122;
- (ix) to determine the powers, duties and responsibilities of the employees of the society;
- (x) to institute, conduct, defend, compound or abandon any suit or other legal proceeding by or against the society or otherwise concerning the affairs of the society and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demand by or against the society;

(xi) subject to the regulations, if any, which may be framed by the Committee of Management to enter into negotiations and sanction contracts up to the value of Rs.5 lakhs each during the construction phase and up to Rs.2½ lakhs each thereafter and to do all such

acts, deeds and things in the name of and on behalf of the society in relation to any of the matters aforesaid for the purposes of the society :

- (xii) to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him to an employee or employers of any society, subject to the ultimate control and authority being retained by him."
- In section 34 of the principal Act, after sub-section (7) the following Amendment of sub-section shall be inserted, namely:section 34.
 - "(7-A): Notwithstanding anything contained in this Act or in the byelaws of a society—
 - (i) a Government servant may be nominated under this section by the State Government or by the authority specified under subsection (7) either by name or by official designation;
 - (ii) a Government servant so nominated by official designation may depute any other officer subordinate to him to attend any particular meeting of the Committee of Management, and such officer shall have the right to participate in the deliberations of the committee and shall also have the right to vote."
- After section 35 of the principal Act, the following sections shall be 7.4 11. inserted, namely:-

Insertion of new section 35-A.

- (1) Without prejudice to other provisions of this Chapter, where for two successive co-operative years (including any period before the commencement of this section):-
 - (a) more than seventy per cent of the total dues of any primary society, which is a credit society against its members during any co-operative year, remain unpaid at the end of such year; or
 - (b) the number of defaulting members exceeds seventy per cent of the total number of indebted members of such society, at the end of any such year,

then, the Chairman and all members of the Committee of Management of any such society shall, upon an order coming into effect under subsection (3), vacate their respective offices as such.

- The provisions of sub-section (1), as they apply to a primary credit society, shall mutatis mutandis apply to a financing bank with the substitution of references to 'seventy per cent' by references to 'sixty per cent'.
- (5) In relation to any society or bank as referred to in sub-section (1) or sub-section (2), the Registrar may make such arrangements as he thinks proper for the management of the affairs of such society or bank, as he thinks fit and the provisions of sub-sections (3), (4), (5) and (6) of section 35 shall mutatis mutandis apply."
- 12. In section 44 of the principal Act in sub-section (2), in clause (b), Amendmenthe words and brackets "(hereinafter in this Chapter referred to as apex section 44. society)" shall be omitted.

In section 45 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (b), the words and brackets "(hereinafter in this Chapter referred to as central section 45. society)" shall be omitted.

Amendment of

In Chapter IX of the principal Act, after section 71, the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of new section 71-A.

ditor against debtor society and members.

"71-A.

190

ģπ

7,3

3 Lyj

...

4 3

 ${\rm itr}_{\rm g}$

9 [:

, , ,

 $\sqrt{-1} \cdot \frac{1}{2}$

CVA

() i

(1) If a co-operative society is unable to pay its debts (hereinafter in this section referred to as the debtorsociety) by reason of its members defaulting in the pay-Powers of cre- ment of the moneys due to another Co-operative society Society (hereinafter in this section referred to as the creditor-society), and the Committee of Management of the debtor-society omits or neglects to take necessary steps for recovery of money due from its members, the

creditor-society may, notwithstanding anything in this Act, direct the said committee by a notice in writing to proceed against the defaulting

members in accordance with the provisions of section 70 or section 92 as the case may be.

- (2) If the Committee of Management of the debtor-society fails to comply with the notice referred to in sub-section (1) within a period of thirty days from the date of service of such notice, the creditor-society may itself proceed against such defaulting members in accordance with the provisions of section 70 or section 92, as the case may be, as if they were members of the creditor-society, and in that event, the provisions of this Act and the rules made thereunder and the bye-laws of the debtor-society shall so apply as if all references to the debtor-society and its Committee of Management and officers in the said provisions were references to the creditor-society and its Committee of Management and officers.
- (3) Where the creditor-society has in respect of any money due from the debtor-society, obtained an award or order referred to in section 92 against the debtor-society, the creditor-society may proceed to recover such money in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder, either from the assets of the debtor-society or from the members thereof to the extent of the debts due from them to the debtor-society, or from both."

Insertion of new section 95-A.

15. After section 95 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"95-A. (I) To Special provision for recovery of certain dues of agricultural society.

(1) The registrar may, on an application made by a society referred to in section 34 or an agricultural credit society, for the recovery of arrears of any loan advanced by it or any instalment thereof to any member and on its furnishing a statement of accounts in respects of such loan and after making such inquiries, if any, as he thinks

fit, issue a certificate for recovery of the amounts due.

(2) A certificate issued by the Registrar under sub-section (1) shall be final and conclusive proof of the dues which shall be recoverable as arrears of land revenue."

Amendment of section 103.

- 16. In section 103 of the principal Act, in sub-section (2) -
 - (i) in clause (a), the brackets and figures "(vi)" shall be omitted;
 - (ii) for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

 "(b) whoever commits an offence under clause (ii), clause (iii) or clause (vi) of sub-section (l) shall on conviction be liable to be punished with imprisonment of either description which may extend to two years and shall also be liable to fine which may extend
 - to three thousand rupees;

 (c) Every offence referred to in clause (b) shall be cognizable and bailable."

Insertion of new section 117-A.

17. After section 117 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"117-A. No expenditure from the funds of a society shall be incurred without prior sanction in writing of the Registrar for the purposes of defraying the costs of any proceedings filed or instituted in any court by any officer or Committee of Management of the society against any order made or purport.

ing to be made by the Registrar or the State Government under section 29, section 34, section 35 or section 35-A".

Insertion of new section 122-A.

- 18. After section 122 of the principal Act the following section shall beinserted, namely:—
 - "122-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may by rules provide for the creation of one or more services of such employees of such co-operative societies or class of co-operative societies as the State Government may think fit, common to such co-operative societies and prescribe the method of recruitment and conditions of service of

ties and prescribe the method of recruitment and conditions of service persons appointed to any such service.

(2) When any such service is created, employees on the posts included

in such service may, if found suitable, be absorbed in the service, provisionally or finally, unless any such employee by notice in writing in the behalf to the prescribed authority within the prescribed period intimates.

his option of not becoming a member of such service and the services of others shall stand determined in the prescribed manner:

Provided that where an employee gives such notice as aforesaid, his services in the society shall stand determined with effect from the date of such notice and he shall be entitled to compensation from the society which shall be as follows:—

- (a) in the case of permanent employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of three months or for the remaining period of his service, whichever is less:
- (b) in the case of a temporary employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for a period of one month or for the remaining period of his service, whichever is less:

Provided further that where any such person holds a lien on any post other than post included in the said service, he shall be entitled to revert to the post on which he holds the lien and if he so reverts, he shall not be entitled to any compensation."

In section 125 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2), the words "after affording another opportunity of being heard to the societies concerned" shall be omitted:

(b) in sub-section (4), for the words "three months from the receipt of the preliminary resolution referred to in sub-section (3), by all the members and creditors of all the societies", the words "thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of section 15 or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) of that sub-section" shall be substituted.

20. In section 126 of the principal Act-

(a) in sub-section (2), the words "after affording another opportunity of being heard to the Society concerned" shall be omitted;

(b) in sub-section (4), for the words "three months from the receipt of preliminary resolution referred to in sub-section (3) by all the members and creditors of the society", the words "thirty days from the date of receipt of the copy of the preliminary resolution under clause (a) of sub-section (2) of section 15 or, as the case may be, from the date of its publication in a newspaper under clause (b) of that sub-section" shall be substituted.

21. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any contract or instrument, all sums deposited in the U. P. Co-operative Bank Limited (hereinafter referred to as the Bank) on behalf of the sugarcane growers of Uttar Pradesh in pursuance of the State Government notifications no. 3072-S-(2)/XII-C-188-1948, dated November 24, 1948 and no. 3321-S/XII-C-188-1948, dated January 19, 1949, by way of fixed deposits, including interest thereon, which remains unclaimed by the cane growers concerned, on the twenty-fourth day of November, 1975, shall be paid by the Bank to the Uttar Pradesh Ganna Kisan Sansthan Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (hereinafter referred to as the Sansthan) within such period as the State Government may, by general or special order direct.

(2) Any dispute between the Bank and the Sansthan about the amount to be transferred under sub-section (1) shall be decided by the State Government, and its decision shall be final and binding on both.

- (3) The Sausthan shall keep the sums so received in a separate account and hold them in trust on behalf of the depositors or their legal representatives, as the case may be.
- (4) The payment of the said sums by the Bank to the Sansthan shall discharge the Bank of the liability in respect thereof to the extent only of the amounts so paid and the liability to make that payment to the depositors or their legal representatives to the extent aforesaid shall stand transferred to the Sansthan.
- (5) As soon as may be after the payment to the Sansthan under sub-section (1) the Sansthan shall publish, in such manner, a general notice, containing all such particulars, as the State Government may by order direct, inviting claims (to be preferred within a period of three months from the date of first publication of the notice) by the depositors or their legal representatives, as

Amendment of section 125.

Amendment of section 126.

Transfer of certain unclaimed deposits to the Sanstban. the case may be, for any payment due to them out of the amounts so transferred to the Sansthan.

- (6) Any claim received in pursuance of the general notice shall be decided by Cane Commissioner, Uttar Pradesh, or an officer not below the rank of Assistant Cane Commissioner nominated by him (hereinafter referred to as the Claims Authority).
- (7) If a claim is rejected by the Claims Authority, under sub-section (6), the claimant shall have a right to appeal before the District Judge of the district in which the depositor was a member of a canegrowers' co-operative society. The appeal shall lie within sixty days from the date of the order of the said authority.
- (8) The decision of the Claims Authority under sub-section (6) shall, subject to the result of any appeal under sub-section (7), be final, and the decision of the District Judge in such appeal, if any, shall be final.
- (9) Out of the amounts transferred to the Sansthan, any amount for which no claim has been made within the time specified in the general notice or in respect of which the claims filed as aforesaid have been finally rejected shall be deemed to be abandoned property and shall vest in the State as bona vacantia and shall be deemed to be transferred to and form part of a Fund to be called the Uttar Pradesh Ganna Vikas Fund.
- (10) The Fund shall vest in and be held and administered by the Sansthan for the purposes of development, research and training in the cultivation of cane and such other purposes of common utility for the cane growers as the Cane Commissioner may from time to time direct.

Repeal and savings.

- 22. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Ordinance, 1976, is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Cooperative Societies (Amendment) Ordinance, 1975, and the Uttar Pradesh Sugarcane Growers Deposits in the Uttar Pradesh Co-operative Bank Limited (Trust for Unclaimed Deposits) Ordinance, 1975 by the Ordinance mentioned in sub-section (1) anything done or any action taken:—
 - (a) under the principal Act, as amended by the said Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1975, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act:

Provided that when under sub-section (4) of section 29 of the principal Act as so amended, an ad hoc committee was appointed by the Registrar for the administration of any society, he shall, not later than two weeks from the commencement of this Act, appoint an Administrator in place of the ad hoc committee, and until an Administrator is so appointed, the ad hoc committee shall be in charge of only the current duties of the Committee of Management:

"Provided further that in respect of a society other than an apex or a central society where the Registrar has appointed an Administrator, he may, if he thinks fit, restore the management of the society to the outgoing Committee of Management, without prejudice to his powers to act again under the said sub-section (4) whenever he so thinks fit; or"

(b) under the Uttar Pradesh Sugarcane Growers Deposits in the Uttar Pradesh Co-operative Bank Limited (Trust for Unclaimed Deposits) Ordinance, 1975, shall be deemed to have been done or taken under section 22 of this Act,—

as if this Act were in force at all material times.

ग्राज्ञा से कैलाश नाथ गोयल, सचिव U. P.

Ordinana

no. 3 of 1976.

Ordinand

no 26.0 1975. . .

U. P.

Ordinand

1975.

1975:

U. P.